

वार्षिक प्रशिक्षण नियोजन २०२२-२३

| अ. क्र. | प्रशिक्षण सुरु होण्याचा कालावधी | प्रशिक्षणाचे नाव | प्रशिक्षणाचा कालावधी | सांभाव्य प्रशिक्षणार्थी |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| १ | एप्रिल २०२२ | मेन्स टेलर | ३० | ३५ |
| २ | एप्रिल २०२२ | बांबुकाम | १३ | २८ |
| ३ | मे २०२२ | पापड लोणचे आणि मसाले बनविणे | १० | ३० |
| ४ | मे २०२२ | वेल्टिंग आणि फॅब्रीकेशन | १३ | २८ |
| ५ | जून २०२२ | डेरी फार्मिंग आणि गांडूळ उत निर्मिती | १० | २८ |
| ६ | जून २०२२ | मोबाईल दुरूस्ती | ३० | ३० |
| ७ | जुलै २०२२ | फास्ट फुड स्टॉल उदयमी | १० | २८ |
| ८ | जुलै २०२२ | अगरबत्ती बनविणे | १० | २९ |
| ९ | ऑगस्ट २०२२ | घरेलु विद्युत उपकरण सेवा | ३० | २८ |
| १० | ऑगस्ट २०२२ | अगरबत्ती बनविणे | १० | २८ |
| ११ | सप्टेंबर २०२२ | उद्योजकता विकास प्रशिक्षण | १० | २८ |
| १२ | सप्टेंबर २०२२ | कृषि उदयमी | १३ | ३० |
| १३ | ऑक्टोबर २०२२ | मेणबत्ती बनविणे | १० | २८ |
| १४ | ऑक्टोबर २०२२ | मधुमक्षिका पालन | १० | २८ |
| १५ | ऑक्टोबर २०२२ | पोल्ट्री | १० | २८ |
| १६ | नोव्हेंबर २०२२ | ज्युट उत्पादन | १३ | ३० |
| १७ | नोव्हेंबर २०२२ | मधुमक्षिका पालन | १० | ३० |
| १८ | डिसेंबर २०२२ | ट्रॅव्हल आणि टुरिस्ट गाईड | १० | २९ |
| १९ | डिसेंबर २०२२ | पॉली हाऊस व शेड नेट फार्मिंग | १० | २६ |
| २० | डिसेंबर २०२२ | पेपर कव्हर लखोटे आणि फाईल बनविणे | १० | २८ |
| २१ | जानेवारी २०२३ | टु व्हिलर मेकेनिक | ३० | २८ |
| २२ | जानेवारी २०२३ | पोल्ट्री | १० | ३० |
| २३ | जानेवारी २०२३ | शिवणकला प्रशिक्षण | ३० | २६ |
| २४ | फेब्रुवारी २०२३ | कॅशियुम ज्वेलरी मेकींग | १३ | २४ |
| २५ | फेब्रुवारी २०२३ | ब्युटी पार्लर | ३० | ३० |
| २६ | फेब्रुवारी २०२३ | बँक मित्रा | ६ | २८ |
| २७ | मार्च २०२३ | फास्ट फुड स्टॉल उदयमी | १० | २९ |
| २८ | मार्च २०२३ | पापड लोणचे आणि मसाले बनविणे | १० | २८ |

प्रशिक्षण काळात प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षण निवास व भोजनाची व्यवस्था संस्थेतर्फे विनामुल्य केली जाते.

पात्रता व अटी : वय १८ ते ४५ वर्षे शिक्षण किमान सातवी पास २) ग्रामिण दारिद्र्य रेषेखालील युवक युवतींना प्राधान्य

३) ज्या प्रशिक्षणाची निवड करणार त्यामध्ये किमान कौशल्य आवश्यक आहे. ४) प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर व्यवसाय सुरू करणे अपेक्षित.

आवश्यक कागदपत्रे : आधार कार्ड, दारिद्र्य रेषेखालील/बचत गट दाखला, पासपोर्ट साईज फोटो २, रेशन कार्ड, रहिवाशी दाखला,

शाळा सोडल्याचा दाखला

टिप : अधिक माहितीसाठी दुरध्वनीद्वारे संपर्क साधावा. वरील कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. कार्यालयीन कारणामुळे कालावधीमध्ये क्वचित

बदल होऊ शकतो.

संपर्क : श्री. पाटकर ८२७५३६४७३६ / श्री. कासले ९४०५८३०७५६ / कार्यालयीन फोन : ०२३६२ २२२९८६